न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(50)

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर 21/2019/प्रा.पत्र/2019 | तारीख दायरा 22.04.2019 | तारीख निर्णय 28.06.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री विजय कुमार जैन पुत्र रामलाल जैन जाति महाजन निवासी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक मैसर्स चित्रा एजेन्सी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक
2– मैसर्स चित्रा एजेन्सी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक
3–श्री अजय जयपुरिया प्रोपरायटर मैसर्स अशिता एसोसियेट्स जयपुरिया कम्पाउण्ड झोटवाडा जयपुर राज0
4– मैसर्स अशिता एसोसियेट्स जयपुरिया कम्पाउण्ड झोटवाडा जयपुर राज0
5–श्री ओमप्रकाश हर्ष पुत्र देवकृष्ण हर्ष निवासी मुरलीधर व्यास नगर वार्ड नं. 6 बीकानेर नॉमिनी मैसर्स श्री राम पापड प्रा.लि. एफ–138–139 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0
6– मैसर्स श्री राम पापड प्रा.लि. एफ–138–139 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 ता.'6 की और से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 28.06.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 04.11.2018 को समय 5.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स चित्रा एजेन्सी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। कारोबारकर्ता एंव विक्रेता की हैसियत से विजय कुमार जैन पुत्र रामलाल जैन जाति महाजन निवासी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक मैसर्स चित्रा एजेन्सी सुभाष बाजार पंसारी हट्टा टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे 4 कार्टून मे लगभग 120 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 400–400 ग्राम पैक **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर टी 121 एंव पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2018 थी,रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री विजय कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विजय कुमार जैन एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे कागज के 4 कार्टून मे रखे 400–400 ग्राम मूल पैक के लगभग 120 नग पैक्ड अवस्था मे से एक कार्टून को खोलकर 4 मूल पैक 400–400 ग्राम के **सोन पपडी (श्री राम**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

834

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

ब्राण्ड) वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री विजय कुमार जैन को रू0 240/—अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 400—400 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो एक—एक नग के बराबर—बराबर चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—2054 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2054 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. विजय कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री विजय कुमार जैन ने मौके पर **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** बतोर वारन्टी मैसर्स अशिता एसोसियेट्स जयपुरिया कम्पाउण्ड झोटवाडा जयपुर राज0का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं 547 दिनांक 26.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स अशिता एसोसियेट्स जयपुरिया कम्पाउण्ड झोटवाडा जयपुर राज0ने मैसर्स श्री राम पापड प्रा.लि. एफ—138—139 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 का बिल क्रमांक/इन्वॉइसनं.एसआरपी/4197/2018—19 दिनांक22 .10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3093 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2141/एक्ट/2018/1490 दिनांक 28.11.2018 अनुसार विजय कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 ता. 6 की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी (श्री राम ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)अप्रार्थी अजय जयपुरिया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रोपरायटर मैसर्स अशिता एसोसियेट्स जयपुरिया कम्पाउण्ड झोटवाडा जयपुर राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी ओमप्रकाश हर्ष पुत्र देवकृष्ण हर्ष निवासी मुरलीधर व्यास नगर वार्ड नं. 6 बीकानेर नॉमिनी मैसर्स श्री राम पापड प्रा.लि. एफ–138–139 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 पर शास्ति 6,000 (अक्षरे छः हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner